प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनाँक- 12.12.2025

- **थाना मंगलपुर व एसओजी पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही से फर्जी अधिकारी बनकर कॉल करके मुकदमा खत्म करवाने की बात कहकर ठगी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 10000 रूपये व 02 एण्ड्रायड मोबाइल फोन, एक मोटर साइकिल बरामद हुई।**
- **अभियुक्त के मोबाइल फोन में 62 जनपदों से सम्बन्धित 1019 एफआईआर व 44 क्यूआर कोड मिले ।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 10.12.2025 को वादी अजय कुमार पुत्र महेश कुमार निवासी फरीदापुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा फर्जी अधिकारी बनकर वादी के बिजली का बिल कम करवाने को लेकर ठगी करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर थाना मंगलपुर पर मु0अ0सं0 434/2025 धारा 308(5)/351(3) बीएनएस बनाम निगम यादव पुत्र अखिलेश यादव निवासी ग्राम गोबा थाना पृथ्वीपुर जनपद निवाड़ी (टीकमगढ़) म0प्र0 उम्र करीब 19 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बिजलेंस टीम कानपुर देहात का फर्जी दरोगा बनकर रवि यादव पुत्र स्व0 राजू यादव निवासी ग्राम फरीदापुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात से बिजली विभाग का मुकदमा खत्म कराने के नाम पर 25,000 रुपये मांगने के सम्बन्ध में ऑडियो वायरल हुआ था। जिसकी जाँच व पंजीकृत मुकदमे के सफल अनावरण हेतु लगातार अभियुक्त के मिलने के संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी । दिनांक 11.12.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त निगम यादव पुत्र अखिलेश यादव उपरोक्त को 10000 रूपये व 02 एन्ड्रोयड मोबाइल, 01 मोटर साइकिल हीरो एचएफ डीलक्स के साथ हवासपुर चौराहे से करीब 100 मीटर पहले सीएचसी संदलपुर वाले रोड थाना क्षेत्र मंगलपुर से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से प्राप्त मोबाइल

में 62 जनपदों से सम्बन्धित 1019 एफआईआर व 44 क्यूआर कोड मिले। उक्त प्राप्त सभी एफआईआर के माध्यम से अभियुक्त सम्बन्धित से सम्पर्क कर फर्जी अधिकारी/दरोगा बनकर लोगों से ठगी करके क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे डलवाता था। अभियुक्त से बरामदगी के आधार पर थाना मंगलपुर पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

1. निगम यादव पुत्र अखिलेश यादव निवासी ग्राम गोबा थाना पृथ्वीपुर जनपद निवाड़ी (टीकमगढ़) म0प्र0 उम्र करीब 19 वर्ष ।

अभियुक्त से बरामदगी- अभियुक्त के कब्जे से 10,000 रूपये व दो एन्ड्रोयड मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल हीरो एचएफ डिलक्स बरामद हुई।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि में अपने मोबाइल में यूपी कॉप एप से प्रथम सूचना रिपोर्ट को डाउनलोड व स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ तथा मेरी पंचायत एप डाउनलोड कर प्रथम सूचना रिपोर्ट के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान व ग्राम के अन्य लोगों के नम्बर पर कॉल करके एफआईआर में आरोपी व्यक्तियों का नम्बर प्राप्त कर उनके मुकदमे को खत्म कराने का लालच देकर अधिकारी बनकर जनता के लोगों से रुपये ले लेते हैं तथा सम्बन्धित विभाग का अधिकारी बनकर धमकी देकर जनता के लोगों से जबरदस्ती रूपये ले लेते हैं। दिनांक 07.12.2025 को राजा ढाबा के पास अजय कुमार नाम के व्यक्ति से मैंने 10000 रुपये लिये थे तथा 25000 रुपये की मांग की थी। जो रुपये मेरे पास मिले हैं ये वही रुपये हैं जो मैंने जबरदस्ती अधिकारी बनकर दिनांक 07.12.2025 को अजय कुमार नाम के व्यक्ति से राजा ढाबा के पास लिए थे तथा 15000 रुपये और की मांग की थी, न देने पर मैंने अजय को धमकाया था।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मंगलपुर व एसओजी टीम जनपद कानपुर देहात।